न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती जीतू कुलहरी)आर.ए.एस.

प्रकरण सं./राजस्व वाद/57/2024 जी0सी0एम0एस0 2024/249

1. घीसू पुत्र हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

(वादी)

बनाम

1. गंगाराम पुत्र हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. गोपाल पुत्र हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. घीसी पुत्री हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. माया पुत्री हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. नारायण पुत्र गंभीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. लाला पुत्र गंभीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. सजनी पत्नि गंभीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकडी
9. उप पंजीयक, नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर

(प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) सत्यमेव जयते

निर्णय अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— 1. वकील प्रार्थी श्री शिवकुमार जोशी
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 08.10.2025

प्राथी ने इस वाद प्रत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम पाड़लियां, पटवार हल्का पाड़लियां, भू.अ.नि. क्षेत्र नागोला, तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073–2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 701 में दर्ज खसरा संख्या 1594 रकबा 0.88 है0, खसरा संख्या 1595 रकबा 0.98, खसरा संख्या 1620 रकबा 0.89 और खसरा संख्या 2139 रकबा 0.49 किता– 4 रकबा 3.42 हैक्ट0, और खाता सं. 702 में दर्ज खसरा संख्या 1746 रकबा 0.51 है0, खसरा संख्या 432 रकबा 0.28 और खसरा संख्या 64 रकबा 1.56 किता– 3 रकबा 2.35 हैक्ट0 वादी एवं प्रतिवादी सं. 07 जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहें हैं। प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजीयात खाता संख्या 701 में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा व अप्रार्थीगण सं. 01 लगातार 04 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा निहित है, खाता संख्या 702 में प्रार्थी का 1/10 हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 का 1/10 तथा अप्रार्थीगण संख्या 05 लगायत 07 का 1/6 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा अधिकार नहीं है।

उक्त प्रार्थना–पत्र वर्णित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 की संयुक्त काश्त की अविभाजित आराजीयात होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 का उक्त प्रश्नगत आराजी के प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा एवं अधिकार है। प्रार्थी द्वारा उक्त संयुक्त आराजीयात में अपने हिस्से अनुसार विभाजन करवाना चाहता है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस हेतु न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए, 188 एवं 209 में प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजीयात में अप्रार्थीगण संख्या 01 लगातय 07 द्वारा प्रार्थी की हिस्से के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा पहुचाने एवं जबरन बेधखल करने पर आमादा हो रहे है। साथ ही अप्रार्थीगण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

01 लगायत 07 प्रश्नगत आराजीयात को बिना किसी विधिक बंटवारे के बैचान एवं अन्तरण करने का प्रयास लगातार कर रहे है। अतः प्रकरण में निवेदन है कि मूल वाद निस्तारण तक प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजीयात का बैचान, रहन, अन्तरण, हस्तान्तरण ना करे तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा, दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करने बाबत जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें। साथ ही अप्रार्थी संख्या 08 को राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने तथा अप्रार्थी संख्या 09 को प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी विक्रय, हस्तान्तरण संबंधी दस्तावेज का पंजीयत नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 01, 02 और 04 द्वारा उक्त वाद पत्र के सन्दर्भ में नियमानुसार नोटिस तामिली के उपरान्त पत्रावली में उपस्थित होकर नियमानुसार बंटवारा किये जाने पर अपनी सहमति प्रकट कर पत्रावली आदेशिका पर अपनी टिप्पणी दर्ज की। अप्रार्थी संख्या 03, 05, 06 और 07 को नियमानुसार नोटिस तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण संख्या 03, 05, 06 और 07 के विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार को नियमानुसार नोटिस तामिल के उपरान्त, बार–बार जवाब बाबत् अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पत्रावली में जवाब सरकार बन्द किया गया। तद्–उपरान्त पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

पत्रावली में वकील वादी से एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित अभिकथनों को दोहराते हुए, निवेदन किया गया कि मूल वाद निस्तारण तक प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजीयात का बैचान, रहन, अन्तरण, हस्तान्तरण ना करे तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा, दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करने बाबत जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें। साथ ही अप्रार्थी संख्या 08 को राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने तथा अप्रार्थी संख्या 09 को प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी विक्रय, हस्तान्तरण संबंधी दस्तावेज का पंजीयत नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन पाया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 212 रा0का0अधि0 में वर्णित किया गया है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजीयात में अप्रार्थीगण संख्या 01 लगातय 07 द्वारा प्रार्थी की हिस्से के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा पहुचाने एवं जबरन बेधखल करने पर आमादा हो रहे है। साथ ही अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 प्रश्नगत आराजीयात को बिना किसी विधिक बंटवारे के बैचान एवं अन्तरण करने का प्रयास लगातार कर रहे है। परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे न्यायालय को यह समाधान हो सके कि अप्रार्थीगण अविधिक रूप से बैचान करने अथवा प्रार्थी को आराजीयात से बैदखल करने पर आमादा है। मूल पत्रावली प्रश्नगत आराजीयात में बंटवारे की प्राथमिक डिकी जारी कर, तहसीलदार भिनाय से बंटवारा प्रस्ताव तलब किया गया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह साबित होता हो की निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने की स्थिति में प्रार्थी को अपूर्णय क्षति की संभावना है। प्रार्थी द्वारा ऐसा भी कोई प्रमाण न्यायालय समक्ष पेश नहीं किया गया है, कि अप्रार्थीगण आराजी को अन्तरित करने, धमकी देते हो या कोई ऐसा आशय रखते हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 212 रा0का0अधि0 के अवलोकन तथा बहस पक्षकारों के मनन उपरान्त पाया गया कि प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे कि यदि निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो अधिकतर असुविधा प्रार्थी को होगी तथा प्रार्थी को अपूर्णय क्षति कारित होगी। अतः आदेश दिये जाते है कि–

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

प्रकरण संख्या 57/2024
घीसू बनाम गंगाराम वगै0 धारा 212 रा0का0अधि0

–:आदेशः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम अनुतोष योग्य नहीं होने से तथा प्रार्थी द्वारा अनुतोष योग्य साबित करने में असफल रहने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार दर्ज होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद में संग्लन हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) सत्यमेव जयते